

पत्र संख्या-गव्य(लेखा-03)-01/2025-

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

गव्य विकास निदेशालय

बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)

बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-

बिषय:- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में मॉग संख्या-02 अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या- 2094, दिनांक- 20.06.2024 के आलोक में स्वीकृत समग्र गव्य विकास योजना के तहत (i) मुख्यशीर्ष-2404-डेरी विकास-उपमुख्यशीर्ष- 00-लघुशीर्ष- 102-डेयरी विकास परियोजनाएँ-उपशीर्ष-0115-गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ, विपत्रकोड 02-2404001020115, के विषय शीर्ष-0115.33.01-सब्सिडी मद अन्तर्गत ₹ 35,99,36,300/- (पैंतीस करोड़ नीन्यानवे लाख छत्तीस हजार तीन सौ रुपये) मात्र, (ii) मुख्यशीर्ष-2404-डेरी विकास- उपमुख्यशीर्ष- 00-लघुशीर्ष-789-अनु0 जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण डेरी रोजगार योजनाएँ, विपत्रकोड 02-2404007890101, के विषय शीर्ष-0101.33.01-सब्सिडी मद अन्तर्गत ₹ 7,99,96,500/- (सात करोड़ नीन्यानवे लाख छियानवे हजार पाँच सौ रुपये) मात्र तथा (iii) मुख्यशीर्ष- 2404-डेरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष-0101-प्रशिक्षण एवं विस्तार, विपत्र कोड 02-2404007960101, के विषय शीर्ष-0101.33.01-सब्सिडी मद अन्तर्गत ₹ 4,48,92,000/- (चार करोड़ अड़तालीस लाख बेरानवे हजार रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹ 48,48,24,800/- (अड़तालीस करोड़ अड़तालीस लाख चौबीस हजार आठ सौ) मात्र की राशि को कोषागार से अग्रिम निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

(2) वित्तीय वर्ष 2024-2025 में विषयांकित विभागीय राज्यादेश के आलोक में स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी को निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध **CFMS Portal** में आवंटित या उपलब्ध राशि से संबंधित कोषागार से राशि की अग्रिम निकासी निम्न: अनुसार विपत्र कोड वार तथा विषय शीर्षवार की जायेगी:-

क्र० सं०	विभागीय राज्यादेश एवं तिथि	आवंटन आदेश संख्या एवं तिथि	विपत्रकोड एवं विषयशीर्ष	राशि (रु०)	अभ्युक्ति
1	2094, दिनांक— 20.06.2024	06(आ०) दिनांक— 10.07.2024	02—2404—00—102—0115(सामान्य) एवं विषय शीर्ष—0115.33.01—सब्सिडी मद	35,99,36,300 / —	
2		07(आ०) दिनांक— 10.07.2024	02—2404—00—789—0101(अनु० जाति) एवं विषय शीर्ष—0101.33.01—सब्सिडी मद	7,99,96,500 /—	
3		08(आ०) दिनांक— 10.07.2024	02—2404—00—796—0101(अनु० जनजाति) एवं विषय शीर्ष—0101.33.01—सब्सिडी मद	4,48,92,000 /—	
कुल योग:—				48,48,24,800/-	

(3) वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2561, दिनांक-17-04-1998 की कंडिका-15 एवं 16 में निहित

प्रावधानों के आलोक में राशि की अग्रिम निकासी हेतु शिथिलीकरण के प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(गीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- गव्य(लेखा-03)-01/2025-

, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि- सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- गव्य(लेखा-03)-01/2025-

, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- गव्य(लेखा-03)-01/2025- 423

, पटना-15, दिनांक- 22/03/2025

प्रतिलिपि- प्रबंधक (आई0टी0), पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/विभागीय योजना शाखा, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा/अनुश्रवण एवं मूल्यांकन शाखा/योजना शाखा, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव